न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।

दण्डवाद सं0 -352/2018

राज्य बनाम नौनिहाल।

मु0 अ 0 सं0-230/2017
धारा-60 आबकारी अधि०।
थाना-डिलारी, जिला मुरादाबाद।

<u>जुर्म इकबाल के आधार पर बयान मुल्जिम</u>

नाम-नौनिहाल पिता का नाम- रुपकिशोर।

निवासी- ग्राम रेहटामाफी थाना- डिलारी जिला-मुरादाबाद।

सं0-1 यह कि दिनांक 10.07.2017 को समय 04.00 बजे स्थान बहद हनुमान मंदिर तिराहे के पास, रहटामाफी थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद में आपको पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा आपकी जामा तलाशी पर आपके पास से करीब 19 ली० कच्ची अवैध शराब बरामद हुई। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उ 0- जी कुछ नही कहना।

प्र.सं0-2 क्या आप जुर्म इकबाल अपनी मर्जी से कर रहे है?

उ 0- जी हां।

प्र.सं0-3 क्या कुछ और कहना है?

उ 0- कम से कम सजा दी जाए्।

सुनकर तस्दीक किया।

दिनांक-14.03.2026

(दीपांकर)
सिविल जज (जू0 डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।

अभियुक्ता न्यायालय उपस्थित आयी है। अभियुक्ता की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थनी स्वेच्छा से अपना जुर्म इकबाल कर रही है। अतः जुर्म इकबाल के आधार पर कम से कम राशि पर प्रार्थनी के वाद का निस्तारण करने की कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्ता द्वारा स्वयं जुर्म इकबाल हेतु प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर उसका बयान मुल्जिम अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्ता द्वारा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने का कथन किया गया है। अभियुक्ता वृद्ध व गरीब है। अभियुक्ता के कब्जे से करीब 19 ली० कच्ची अवैध शराब बरामद किए जाने का कथन है। अतः अभियुक्ता द्वारा स्वेच्छापूर्वक की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति व उसकी आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, उसे उपरोक्त मामले में दोषसिद्ध करते हुए निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त नौनिहाल को मु0 अ 0 सं0-230/2017 थाना डिलारी जिला मुरादाबाद में अन्तर्गत धारा-60 आबकारी अधि0 में मु0-1000/-रू0 के अर्थदण्ड से दंण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 02 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 14.03.2026

(दीपांकर)
सिविल जज (जू0 डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।